भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2587

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

नेवेली लिग्नाइट निगम में दुर्घटनाएं

2587. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय नेवेली लिग्नाइट निगम (एनएलसी) द्वारा संयंत्रों और खानों में दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी घातक और छोटी दुर्घटनाएं/घटनाएं हुईं हैं;

(ग) एनएलसी में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मानसून के दौरान खानों में पानी भरने से बचने और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : संयंत्रों और खानों में दुर्घटनाओं से बचने के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) द्वारा किए गए सुरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं:

(क) **तापीय विद्युत संयंत्र**

संयंत्रों में सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए किए जा रहे सुरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं:

1. तापीय विद्युत स्टेशनों में सुरक्षा का अवलोकन करने और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 और तमिलनाडु कारखाना नियम, 1950 के संदर्भ में सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी कर्मचारियों को प्रवेश प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, टूल बॉक्स टॉक्स, पेप-टॉक्स और नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल्स के आयोजन सहित प्रत्येक

गतिविधि के लिए सुरक्षित संचालन प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं और इस पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

2. परिसर में गैर-अनुपालन और कल्याण उपायों को चिह्नित करने के लिए सुरक्षा समिति का गठन किया गया है और तमिलनाडु कारखाना नियम, 1950 के 61-एम के अनुसार अनुपालन रिकार्ड किए गए हैं।

3. आईएसः 14489:1998 के अनुसार बाह्य सुरक्षा ऑडिट दो वर्ष में एक बार किया जाता है और तापीय संयंत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जाती है।

4. आग पर काबू पाने के लिए आग के खतरों की निगरानी हेतु अग्नि निगरानी समिति का गठन करने के साथ-साथ संयंत्रों में आपातकालीन व्यवस्था, फायर स्टेशनों का रखरखाव किया जा रहा है।

5. सभी कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण के अलावा, सुरक्षा मानकों को जानने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा नियमावली और आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है और ई-मोड के माध्यम से परिचालित की गई है।

(ख) **कोयला एवं लिग्नाइट खानें**

खानों में दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने हेतु किए जा रहे सुरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं

1. कोयला खान विनियमों (सीएमआर 2017) के अनुसार सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) का निरुपण और कार्यान्वयन, खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन किया जाता है, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और प्रयोग में लाई गई है।

2. सीएमआर 2017 के विनियमन 106 के तहत वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और नेवेली में खानों में अत्याधुनिक तकनीक अर्थात बकेट व्हील एक्सकेवेटर, स्प्रेडर और इनबिल्ट सुरक्षा सुविधाओं वाले कन्वेयर श्रृंखला के साथ कार्य किया जा रहा है।

3. खान नियम-1955 के अनुसार हर महीने पिट सेफ्टी कमेटी की बैठक आयोजित की जाती है। सभी खानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष में एक बार कारपोरेट सुरक्षा की बहु-विषयक टीम द्वारा की जाती है।

4. प्रत्येक खान में 2 फायर टेंडर मौजूद हैं।

5. ग्रुप वेस्टिबुल प्रशिक्षण केंद्र में सिम्युलेटर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उपकरण ऑपरेटरों को वास्तविक उपस्कर संचालन में तैनात करने से पहले वर्चुअल आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएलसीआईएल में हुई घातक और छोटी दुर्घटनाओं/घटनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

एनएलसीआईएल		2021	2022	2023
खानें	घातक	-	-	1
	गंभीर	1	1	-
तापीय	घातक	1	1	--
	गंभीर	--	6	--

(ग) : एनएलसीआईएल में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं

1. आईआईटी-आईएसएम धनबाद में दुर्घटना जांच के मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) तकनीक पर प्रशिक्षण दिया गया।
2. मूल कारण तक पहुंचने के लिए हर दुर्घटना की पूरी तरह से जांच की जाती है।
3. मूल कारण विश्लेषण के आधार पर, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिफारिशें दी जाती हैं।
4. सभी इकाईयों में जीवन रक्षक नियम तैयार कर लागू किए गए हैं।
5. खानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है, सभी घटनाओं पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा अधिकारियों की मासिक बैठक आयोजित की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की जाती है। लोगों को जागरूक करने के लिए हाल की घटनाओं से ली गई सीख के आधार पर सुरक्षा परिपत्र।

(घ) : मानसून के दौरान खानों में जलभराव से बचने और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएलसीआईएल द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं

1. जल संबंधी खतरे की संभावना का अध्ययन किया जाता है और इसे मानसून संबंधी तैयारी योजना में शामिल किया जाता है तथा मानसून की शुरुआत से पहले हर वर्ष लागू किया जाता है।
2. मानसून की शुरुआत से पहले मानसून दस्ते का गठन किया जाता है और जब भी मौसम के बारे में प्रतिकूल पूर्वानुमान होता है तो उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है।
4. जलप्लावन अथवा जल के अंतर्वाह के जोखिम के मामले में लोगों की निकासी के लिए स्थायी आदेश तैयार किया जाता है और मानसून की शुरुआत होने पर इस पर कार्रवाई की जाती है।
5. मानसून की तैयारी योजना की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है।

****